कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

// परिपत्र //

क्रमांक– 680 / दो–12–01 / 2004(फा.65) / 25 दिनांक..... 12 SEP 2025

माननीय रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2023/638 दिनांक 09.05.23 में दिये गये निर्देशानुसार जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 01.06.23 से FRS मशीन में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराया जाना है, किंतु FRS मशीन से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से प्रायः यह देखने में आ रहा है, कि जो कर्मचारीगण विलम्ब से उपस्थित होते हैं, वह अपनी विलम्बता को छिपाने के लिये FRS मशीन में उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं।

अतः समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस में FRS मशीन में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करावें, जिन कर्मचारियों द्वारा FRS मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जावेगी तो उनकी उक्त दिवस की अनुपस्थिति मानकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

Sd

(पूरन चन्द्र गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला–उज्जैन।

पृष्ठ.क्रमांक– 8785 / दो–12–01 / 2004(फा.65) / 25 उज्जैन,दिनांक..... 12 SEP 2025

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, उज्जैन / नागदा / महिदपुर / खाचरौद / तराना / बड़नगर, जिला उज्जैन की ओर परिपत्र का परिशीलन समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को करवाये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला–उज्जैन।

Off.Ord/circuler

Acc.WorkFile